



## सराहनीय कार्य जनपद सम्भल पुलिस ।

दिनांक – 30.04.2024

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद सम्भल श्री कुलदीप सिंह गुनावत के कुशल निर्देशन में जनपद सम्भल में दिनांक 30.04.2024 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियान में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी ।

### अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार थाना कैलादेवी-

मु0अ0सं0 73/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त राजू पुत्र कल्लू निवासी ग्राम रझैडा सलेमपुर थाना कैलादेवी जनपद सम्भल को 50 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ उ0नि0 श्री कल्याण सिंह द्वारा मय पुलिस टीम के ट्यूबैल की उत्तरी दीवार के पास ग्राम रझैडा सलेमपुर से गिरफ्तार किया गया ।



### 03 वांछित अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार-

#### थाना ए.एच.टी.यू-

मु0अ0सं0 01/2024 धारा 370/370ए/372/373 भादवि व 3,4,5,6 अनैतिक दैह व्यापार अधिनियम में वांछित अभियुक्त/अभियुक्ता 1. अशोक पटेल उर्फ अशोक राय पुत्र नाथू मेहतो, 2. बेबी उर्फ जरीना पत्नी अशोक पटेल उर्फ अशोक राय निवासीगण ग्राम अमरपुर थाना सोनवर्षा कचहरी जनपद शहरसा बिहार हाल पता कोठा नं0 58 थाना कमला मार्केट दिल्ली को थाना एएचटीयू पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया ।

#### आपराधिक इतिहास अभियुक्त बेबी उर्फ जरीना

- मु0अ0सं0 01/2024 धारा 370,370ए,372,373 भादवि व 3,4,5,6 अनैतिक देह व्यापार अधि0 थाना एएचटीयू जनपद सम्भल,
- मु0अ0सं0 323/2002 धारा 363,372,378,376,323,306,104 भादवि व धारा 3,4,5,6 अनैतिक देह व्यापार अधि0 थाना कमला मार्केट जनपद मध्य दिल्ली।
- मु0अ0सं0 55/2023 धारा 392,411,34 भादवि थाना कमला मार्केट जनपद मध्य दिल्ली ।

#### आपराधिक इतिहास अभियुक्त अशोक राय उपरोक्त-

- मु0अ0सं0 01/2024 धारा 370,370ए, 372,373 भादवि व 3,4,5,6 अनैतिक देह व्यापार थाना एएचटीयू जनपद सम्भल,

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० श्री मेघपाल सिंह थाना ए०एच०टी०यू० जनपद सम्भल,
  2. उ०नि० श्री देवेन्द्र सिंह,
  3. का० 1200 नवीन कुमार,
  4. म०का० 263 छवि,
  5. म०का० 161 विनीता रानी,
  6. म०का० 398 वर्षा यादव ।
- 



### थाना हजरनगरगढ़ी-

मु०अ०सं० 98/2024 धारा 363/376 भादवि में वांछित अभियुक्त उमेश पुत्र राजवीर निवासी ग्राम चचेरा थाना हजरतनगरगढ़ी जनपद सम्भल को उ०नि० श्री नरेंद्र शर्मा द्वारा मय पुलिस टीम के जमालपुर तिराहा से गिरफ्तार किया गया ।

